राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक :– प. 1(4) वित्त/नियम/2008 **जयपुर, दिनांक : 02 DEC 2020**

परिपत्र

राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारीगण के लम्बी अवधि के अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा धारित पद की कार्य व्यवस्था सुचारू नही रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही कई पदों की प्रकृति प्रशासनिक/वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उन्हें लम्बी अवधि तक रिक्त रखा जाना उचित नही होता है।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों के सम्बंध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के 2 माह से अधिक अवधि के अवकाश पर जाने की स्थिति में अधिकारीगण द्वारा अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी उपस्थिति अपने प्रशासनिक विभाग में प्रस्तुत करेंगे। अवकाशकालीन अधिकारियों द्वारा धारित पद को रिक्त मानते हुए उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के अवकाश, जो 2 माह से अधिक अवधि के हो, यदि उनके द्वारा स्वीकृत किए जाते है तो ऐसे अधिकारी के स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि वे अवकाश समाप्ति पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में अपने प्रशासनिक विभाग में प्रस्तुत करेंगे।

(डा. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

02/12/2020

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त (नियम)

(आरएसआर 49/2020)